प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक-20.12.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा 07 अभियुक्तों को 07 – 07 वर्ष के कठिन कारावास एवं प्रत्येक को 2,000 – 2,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना जसवंतनगर, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा 07 अभियुक्तों को 07 – 07 वर्ष के कठिन कारावास एवं प्रत्येक को 2,000 – 2,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26.10.2016 को वादी संजीव कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी नया बस स्टैण्ड सैफई मोड थाना जसवंतनगर जनपद इटावा ने थाना जसवंतनगर पर 05-06 अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके घर मे रात को घुसकर उसकी पत्नी, भाई तथा भाभी के साथ मारपीट कर जेवरात और नगदी लूट ले जाने के संबंध मे तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना जसवंतनगर पर **मु0अ0सं0 448/16 धारा 395/397 भादवि बढोत्तरी धारा 412 भादवि** पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्त को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना जसवंतनगर पुलिस टीम पैरोकार का0 सुरेन्द्र कुमार एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री कौशलेन्द्र तोमर द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित 07 अभियुक्तों को आज दिनांक 20.12.2024 को अन्तर्गत धारा 395/397/412 भादवि मे मा0 न्यायालय एडीजे-12/ डकैती कोर्ट इटावा द्वारा 07 – 07 वर्ष के कठिन कारावास एवं प्रत्येक को 2,000 – 2,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. आशिक पुत्र निक्का निवासी सरैया थाना विधूना जनपद औरैया।
2. महफूज उर्फ मुन्ना पुत्र इदरीश उर्फ बब्बन निवासी उपरोक्त।
3. मुइन उर्फ तीतर पुत्र लहदूद उर्फ बड्डा निवासी आलमपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
4. तैय्यब पुत्र लहदूद उर्फ बड्डा निवासी उपरोक्त।
5. सादिक उर्फ मिथुन पुत्र लहदूद उर्फ बड्डा निवासी उपरोक्त।
6. शहरान उर्फ शिवा पुत्र रिजवान निवासी उपरोक्त।
7. सारिक उर्फ गोली पुत्र निक्का निवासी डेरातम्बू निकट बड़ौत जनपद बागपत।